[illegible]	[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित। प्रार्थिया ने उपस्थिति बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया लिखित किया कि पत्रावली [illegible] [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.28 16:25:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

श्रीमति [illegible] / दीवान

सहायक कलेक्टर जयपुर द्वितीय

दावा - 131/2013

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	पेशी में लिया गया है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। कि वादिया ने उपरोक्त शीर्षकीय वाद पत्र के माध्यम से सह खातेदारों की आपसाती भूमि के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है। जिसमें परामर्श विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण तकनीकी त्रुटि रह गई है। वास्तव में विधिक प्रावधानों के अनुसार भिन्न-भिन्न सहखातेदारों के मध्य विभाजन हेतु अलग-अलग वाद प्रस्तुत करने चाहिए थे। वादिया द्वारा अन्य अधिवक्ता से विधिक परामर्श करने पर उनके परामर्श अनुसार यह वाद आगे नहीं चलाना चाहती है। तथा इसी स्तर पर वाद प्रत्याहरित करके विधिक प्रावधानों के अनुरूप पुनः अलग-अलग वाद प्रस्तुत करना चाहती है। इसलिए उपरोक्त वाद को प्रत्याहरित करने की अनुमति दी जावे तथा नये अलग-अलग वाद पेश करने की छूट देते हुए उपरोक्त वाद का निस्तारण इसी स्तर पर किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का निवेदन है कि उपरोक्त शीर्षकीय वाद नये वाद प्रस्तुत करने की छूट के साथ प्रत्याहरित करने की आज्ञा प्रदान करें। इसने प्रार्थिया/वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] किया। 1.4.03 [illegible] का अवलोकन किया [illegible] सुना। वादिया की पहचान उनके अधिवक्ता ने की। वादिया एवं उनके अधिवक्ता के	

सहायक कलक्टर
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.28 16:25:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

श्रीमती [illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर।

केस संख्या 6 [illegible] (3)/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि वह यह वाद की विद्या ~~[illegible]~~ चलाना चाहते हैं तथा इसके सम्बन्धित नये वाद अलग-अलग पेश करने की अनुमति चाहते हैं। वादिया/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र का मनन करने पर पाया कि प्रार्थिया/वादिया वाद अलग-अलग खाता संख्याओं के हैं तथा पक्षकार भी ~~[illegible]~~ समान नहीं है। ऐसे में प्रार्थिया/वादिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थिया/वादिया को अलग-अलग खाता संख्याओं के अलग-अलग वाद पेश करने की छूट प्रदान की जाती है। प्रार्थिया/वादिया चाहे तो अलग-अलग वाद प्रस्तुत सक्षम न्यायालय में पेश कर सकती है। वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादिया/प्रार्थिया का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल [illegible] हो। [illegible] सुनाया गया।
		अरशदीप बरार (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.28 16:25:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner